फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

भूरा बनाम बाबू वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 369/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.11.2020	प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनेन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गिडा व शिवपुरा पटवार मण्डल गिडा तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप कारित करने व कच्चा–पक्का निर्माण करने व राजस्व रेकर्ड में रहन, बेचान करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 28.12.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा गिड़ा पटवार मण्डल गिड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 128, 394/128, 306 रकबा क्रमशः 100–08, 1–18, 58–15 बीघा व मौजा शिवपुरा पटवार मण्डल गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 242, 307/242 रकबा क्रमशः 35–14, 02–16 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे व काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही राजस्व रेकर्ड में रहन, बेचान करे. वर्तमान रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभयंपक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 28.12.2020 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:54 IST
Reason: SelfAttested

मु. पृ. 13/09/21

28/12/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील हिस्म तामील अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तवा होकर आगामी दिनांक 02/02/2021 को पेश हो / तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा /

02/02/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील हिस्म तामील अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तवा होकर आगामी दिनांक 30/04/2021 को पेश हो /

30/04/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 28/06/21
को पेश हो /

28/06/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 16/08/2021
को पेश हो

16/08/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नोटिस तामील हिस्म तामील अप्राप्त / इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 13/09/2021 को पेश हो / तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा /

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:54 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-3 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा मूल वाद में वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थीयों के नोटिस तामील हेतु तामील किया/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 04/10/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/10/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिशल इन्तजार होकर आगामी दिनांक-20/11/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/11/21	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रेवाली में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद जरिये विड्रॉवल खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी का उक्त स्थगन आवेदन भी इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible] दाखिल हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:54 IST
Reason: SelfAttested